

प्ररूप 26
(नियम 4क देखिए)

31 (वसु) (निर्वाचन क्षेत्र से)

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

उत्तराखण्ड विधानसभा (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटनिंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ-पत्र

में, सुनील कुमार शर्मा पुत्र/पुत्री/पत्नी वसुपाल शर्मा

आयु 28 वर्ष, जो. नं.: 147/237 (976) काशी

का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ/शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ:-

1. मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

यदि अभियुक्त ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित अपराधों पर चर्चा करेगा/करेगी):-

(i) मामला प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं

(ii) पुलिस थाना (थाने) जिला (जिले) राज्य

(iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है

(iv) न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई

(v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था

(vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं

2. मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं



(Signature)

ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दण्डादिष्ट किया गया है/नहीं किया गया है।

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दण्डादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा) :- लागू नहीं

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं..... X

(ii) न्यायालय, जिसने दण्डित किया है..... X

(iii) पुलिस थाना (थाने)..... X जिला (जिले)..... X

राज्य..... X



(iv) अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है..... लागू नहीं

(v) तारीख (तारीखें) जिनको दण्डादेश सुनाया गया था/सुनाए गए थे..... X

(vi) क्या दण्डादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/रोके गए हैं..... X

स्थान

h.s.w.

तारीख

11/1/2012

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता/करती हूँ कि इस शपथ-पत्र की अंतर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्विक बात छिपायी नहीं गयी है।

..... (h.s.w.) स्थान पर आज तारीख..... 11/1/2012 को सत्यापित किया।

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

IDENTIFIED BY

VERIFIED & ATTESTED

(Sanjeev Kumar)

Advocate & Notary
Roorkee, Distt. Haridwar
3719/2011

Balbir Singh

Advocate
Reg. No. 493/2010
Roorkee (Haridwar)

टिप्पणी :- इस प्ररूप के वे स्तम्भ, जो अभिसाक्षी को लागू नहीं हैं, काट दिये जायें।



कोषाधिकारी (न्यायिक)
 कोषाधिकारी
 23 DEC 2011
 जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड)
 2010-2011

UTTARAKHAND

12AA 753427



शामिल

पुनीत कुमार ही ना 5109A बर्म पाल फिरे
 18. 147/237 (G-16) किकाश कुंडा
 आई क्यूरी 1954/10. हरिद्वार

(S. Shrivastava)

(S. Shrivastava)